आदेश

पत्रावली प्रस्तुत / वकील प्रार्थी अनुपस्थित वकील प्रार्थी को अनेक बार तामिल करवा कर नोटिस प्रेषित करने हेतु कहा गया है परन्तु आज तक तामिल कराकर कोई सूचना नहीं दी गई है नाही अभी तक नोटिस ईश्यू किया ही की गई है नाही उपस्थित हो रहे है वकील प्रार्थी को बार बार कहने के बावजूद तामिल कराने के आवेदन लगाई गई बावजूद वकील प्रार्थी प्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र 09 Rule 5 के तहत वापिस लिया जाता है पत्रावली बंद करने का आदेश दिया जाता है। दिनांक दर्ज किया जाता है। दिनांक आज दिनांक आदेश को खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
फतेहाबाद प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.15 13:11:23 IST
Reason: SelfAttested